बेगूसराय समाहरणालय

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 441 /सा0सु0को0 दिनांक 08/11/14/

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय।
पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय।

सेवा में,

सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी
सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
बेगूसराय जिला।

विषय :– दिनांक 16.11.2014 से 30.11.2014 तक सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर आयोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन कैम्प पर विधि–व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य निशक्तता पेंशन योजना एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2014 तक की पेंशन राशि का नगद वितरण सभी प्रखंडों के पंचायतों एवं वार्डो में आयोजित शिविर में दिनांक 16.11.2014 से 30.11.2014 तक किया जायेगा। जिले में नगद पेंशन वितरण हेतु पंचायतवार/वार्डवार रोस्टर की सूची संलग्न की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पंचायतवार पेंशन राशि वितरण के समय कैम्प में काफी भीड़ होने की संभावना है। अतः उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सुरक्षात्मक एवं एहतियाति कार्रवाई आवश्यक है।

अनुरोध है कि उक्त अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने–अपने अनुमंडल के अन्तर्गत पड़ने वाले पंचायत स्तर पर आयोजित सामाजिक सुरक्षा कैम्प पर दंडाधिकारी के अधीन आवश्यकतानुसार बल की प्रतिनियुक्ति करेगें तथा स्वयं भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेगें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

08/11/14
पुलिस अधीक्षक
बेगूसराय।

8/11/14.
जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।